संख्याः-08/2021/393/94-1-2021-312(83)/2015 टी0सी0-1

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,.

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2021**

विषयः- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसील कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर में उप रजिस्टीकरण कार्यालय के सृजन एवं कार्यालयों को संचालित करने हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 454 तीन-ए-एम-562/शि0का0लख0/2021, दिनांक 09 फरवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में उप निबन्धन कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया नवसृजित तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक के लिए यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्रम सं0	**नवसृजित तहसील जहॉ उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना की जानी है।**	**पदनाम**	**वेतनमान**	**अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या**
1	कासिमाबाद जनपद गाजीपुर	उप निबन्धक	लेवल-10, रुपये 56100-177500	एक
		निबन्धन लिपिक	लेवल-3 रुपये 21700-69100	एक

3. इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा।

4. नवसृजित उप निबन्धक कार्यालय, कासिमाबाद जनपद गाजीपुर की साज-सज्जा, फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा जनरेटर क्रय हेतु आवश्यक व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन तथा क्रय संबंधी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० यू०ओ०ई-9-196/दस-2021 दिनांक 25-03-2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं|

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-08/2021/393(1)/94-1-2021 एवं तद्दिनांकित ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त ।
4. संबंधित जिलाधिकारी ।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
8. संबंधित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/उप महानिरीक्षक निबन्धन ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।